कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

क्रमांक : एफ–13 ( ) उपा.आयो–II/ननिज/2022/ 04 दिनांक 21/1/22

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 389, बरकत नगर (न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी स्व0 श्री ग्यारसी लाल जांगिड़ को क्षेत्रफल 320.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में अब आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), रजि0 पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, रजि0 विभाजन विलेख पत्र की फोटोप्रति एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार उक्त भूखण्ड का उविभाजन चाहा है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर श्री रामगोपाल एवं श्री रमेश चन्द जांगिड पुत्रान स्व0 ग्यारसी लाल जांगिड के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 320.00 वर्गगज में से श्री रामगोपाल पुत्र स्व0 श्री ग्यारसी लाल जांगिड के पक्ष में उत्तरी हिस्से का क्षेत्रफल 160.00 वर्गगज एवं श्री रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री ग्यारसी लाल जांगिड के पक्ष दक्षिणी भाग का क्षेत्रफल 160.00 वगर्गज का उपविभाजन किया जाना है। उक्त भूखण्ड के उपविभाजन बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना–द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पत्रावली उपविभाजन की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर